Dainik Jagran/ Dehradun/ June 12, 2012

तो अवैध रूप से चल रही फर्नेश फैक्ट्रियां

◆ सीएसई ने ग्रामीणों के समक्ष रखी फैक्ट्री क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट

जागरण प्रतिनिधि, कलालघाटी: सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट तो इसी ओर इशारा करती है कि जशोधरपुर और बलभद्रपुर औद्योगिक आस्थानों में फर्नेश फैक्ट्रियों का संचालन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बगैर हो रहा है।

जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान में चल रही फर्नेश इकाईयों से हो रहे प्रदूषण की जांच कर रही सीएसई की टीम ने सोमवार को जांच रिपोर्ट ग्रामीणों के समक्ष रखी। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से वर्ष 2008 से फैक्ट्रियों के संचालन को कोई अनुमति नहीं दी गई है। कहा गया कि संचालन की अनुमति तभी दी जाती है, जब फैक्ट्री निर्धारित मानकों पर खरी उतरे।

सीएसई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल चंद्रभूषण ने बताया कि वर्तमान हालातों में उत्तराखंड सरकार या तो इन इकाईयों को पूर्ण रूप से बंद करवा सकती है अथवा इकाईयों को स्थिति सुधारने के लिए तीन माह का समय दे सकती है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री स्वामी इकाईयों की तकनीक सुधारने को नेशनल प्रोडेक्टिविटी कौंसिल से मदद ले सकती है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में किए गए सर्वेक्षण के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि इकाई संचालन में जिस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें न सिर्फ विद्युत खपत अधिक है बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इस मौके पर सीएसई की प्रोग्राम मैनेजर सुगंध, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक तकनीकि अधिकारी डॉ.वीके जोशी, अवर अभियंता अमित पोखरियाल के अलावा जिपंस राकेश धूलिया, क्षेपंस हर्षवर्द्धन गुंसाई, शिवप्रसाद डबराल, तुषार नैथानी, सुरेंद्र सिंह रावत, ज्ञान सिंह नेगी सहित कई अन्य मौजूद रहे।

ग्रामीणों को सर्वे रिपोर्ट की जानकारी देते सीएसई के डीडीजे। जागरण

क्या कहते हैं उद्योगपति

आस्थान की प्रत्येक इकाई में मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक फैक्ट्री स्वामी की ओर से प्रतिवर्ष फैक्ट्री संचालन की अनुमति शुल्क बोर्ड में जमा करवाया जाता है। बोर्ड द्वारा भी आज तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति नहीं है।

अनिल कंसल, अध्यक्ष, उत्तराखंड स्टील मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन

किस आधार पर जारी किए नोटिस?

जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान स्थित फर्नेश फैक्ट्रियों के संबंध में सीएसई की रिपोर्ट ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जब बोर्ड की ओर से फैक्ट्री संचालन की अनुमति ही नही दी गई थी तो आखिर फैक्ट्रियों के संचालन में किसका 'वरदहस्त' था? सबसे बड़ी बात गत दिसंबर माह में जब ग्रामीणों की ओर से फैक्ट्रियों के विरूद्ध आंदोलन शुरू किया, उस दौरान भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर उनके विरूद्ध नोटिस भी जारी किए। यदि फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति नही थी तो नोटिस किस आधार पर जारी किए गए?

क्या कहते हैं अधिकारी

रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के सम्मुख रखी जाएगी व आगामी कार्रवाई उन्हीं के स्तर से की जाएगी। फैक्ट्रियों को संचालन की अनुमति न दिए जाने संबंधी मामला भी बोर्ड में भेजा जा चुका है। अंतिम निर्णय बोर्ड लेगा।

डॉ.वीके जोशी
असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड